124/

संख्या :51–दो(2)/XXXVI(2)/2012–107–दो(8)/2010

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग – 2 देहरादून : दिनांक: 05 सितम्बर, 2013

विषय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी0जे0एम0) जिला नैनीताल, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल के उपयोगार्थ निष्प्रोज्य घोषित किये गये राजकीय वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या–No.3394/U.H.C./Admn.B/IX-g-28/2012, दिनांक 01 जुलाई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी0जे0एम0) जिला नैनीताल, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, टिहरी एवं पौडी गढ़वाल के उपयोगार्थ निष्प्रोज्य घोषित किये गये राजकीय वाहनों के स्थान पर कुल 05 नये वाहन क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या–01–दो(2)/XXXVI(2)/2013–107–दो(8)/2010, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वाहन क्रय की संगत मद संख्या–14 "कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय" में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि ₹ 30.00 लाख को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) कृपया पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०–13 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक शासन में उपलब्ध करायी जाय ।

(2) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

(3) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।

(4) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.3.2013 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(5) यदि धारक को वाहन भत्ता स्वीकृत हो तो वाहन की स्वीकृति के उपरान्त उन्हें वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(6) शासकीय वाहन क्रय हेतु अनुमन्य व्यापार कर में छूट हेतु फार्म–डी निष्पादित करके क्रय करने की कार्यवाही की जाये।

(7) वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट कान्ट्रेक्ट की दरों पर किया जाये।

(8) पूर्व में क्रय किये गये वाहनों को निष्प्रोज्य घोषित करने के उपरान्त उनकी निलामी से प्राप्त होने वाली धनराशि को राजकोष में जमा करने के पर ही वाहनों क्रय किया का जाय।

(9) उक्त वाहनों के क्रय में स्टैन्डर्ड एक्सेसरीज के अलावा अन्य एक्सेसरीज हेतु धनराशि सम्मिलित नहीं है।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन न्यायाधीश–14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारो/मोटर गाडियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अशासकीय संख्या–91–एनपी/XXVII(5)/2013, दिनांक: 03 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।

संख्या 51 –दो(1)/XXXVI(2)/2013–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. नियोजन विभाग,/वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन ।
4– एन0आई0सी /गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।